राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/87

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128	8/24	8/2/2024		22/2/2024

अनवान

श्री शान्ति देवी w/o गोकुल जाति धाकड़

निवासी कल्याणपुरा, तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री सुगनलाल s/o लक्ष्मण जाति धाकड़

निवासी लक्ष्मीखेड़ा, तह. बिजौलिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

मदयून

श्री अनिल कुमार धाकड़

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

शान्ति देवी बनाम सुगनलाल

किस्म मुकदमा – III/28 नम्बर 08/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/2/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 22/02/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
22/2/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 21/3/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
21/3/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी [illegible] उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर [illegible] दिनांक 27/3/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
27/3/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण श्री बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए, निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :–08 / 2024 राजस्व तारीख दायर 8/2/24

1. शान्ति देवी पत्नि गोकुल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

...........प्रार्थी

बनाम्

1. सुगनलाल पिता लक्ष्मण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. शम्भुलाल पिता लक्ष्मण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी फतहपुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
3. जीतमल पिता कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी फतहपुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
4. गिरिजा देवी पत्नि शंकरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
5. रंजना देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 27/3/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री अनिल कुमार धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम मण्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 253 पर अंकित आराजी संख्या 696/122 रकबा 0.2185 है0 व आराजी सख्या 697/122 रकबा 0.4532 है0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मण्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 253 पर अंकित आराजी संख्या 696/122 रकबा 0.2185 है0 व आराजी सख्या 697/122 रकबा 0.4532 है0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 08 / 2024 राजस्व   तारीख दायर 8/2/24

प्रेषिति :–तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :–   प्रकरण संख्या 08 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

शान्ति देवी पत्नि गोकुल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

...........प्रार्थी

बनाम्

1. सुगनलाल पिता लक्ष्मण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. शम्भुलाल पिता लक्ष्मण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी फतहपुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
3. जीतमल पिता कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी फतहपुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
4. गिरिजा देवी पत्नि शंकरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
5. रंजना देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

..........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम मण्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 253 पर अंकित आराजी संख्या 696/122 रकबा 0.2185 है0 व आराजी सख्या 697/122 रकबा 0.4532 है0 भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/–रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

(कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा))

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा